न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 37 / 2014 **दायर दिनांकः 02 / 04 / 2014**

उनवान

1. रामकिशन आयु 48 वर्ष पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी बडौरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. शिवराम आयु 65 वर्ष पुत्र रतनलाल जाति माली
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

आदेश दिनाकः 23 / 03 / 2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बडोरा तहसील अटरू जिला बारां में प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 389 के ख० न० 1157 का रकबा 0.25 है०, ख०न० 1157 / 2568 का रकबा 0.30 है० प्रार्थी एवं अप्रार्थीकम 1 की मां गेदीबाई के हिस्से में आयी है प्रार्थी व अप्रार्ीिकम 1 की मां गेंदीबाई प्रार्थी के पास ही रहती है। इसके लगवा ही अप्रार्थी कम 1 के ख0नं0 1158 का रकबा 0.26 है0 तथा अप्रार्थी कम 2 के ख0नं0 1159 का रकबा 0.21 है0 आराजी स्थित है। प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा नक्शा ट्रेस एवं नजरी नक्शा पेश है जो काबिल गौर है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनके उपरोक्त मद नं0 1 में वर्णित आराजी उनके पूर्वजों की है जो पारिवारिक बटवारा हो जाने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खाते दर्ज हुई है। नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट एवं मिलान क्षैत्रफल साथ में संलग्न है। जो काबिल गौर है। प्रार्थी व उसकी मां के स्वामित्व की आराजी 0.55 है0 पर आने जाने का स्थाई

रास्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के स्वामित्व के कुए पर होकर मेड पर होकर है जो पूर्व से ही 12 फीट चौडाई में है जिस पर प्रार्थी वक्त आराजी का पारिवारिक बटवारा हुआ तक से निकलता चला आ रहा है इस रास्ते को प्रार्थी एवं उसकी मां खेत पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने के उपयोग में लेते चले आ रहे है। यह रास्ता पुराने समय से बना हुआ है लेकिन इस वर्ष अप्रार्थीगण ने रास्ते को हांककर फसल बो दी प्रार्थी एवं उसकी मां ने मना किया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि आप तो फसल आने पर इसी रास्ते में होकर निकाल लेना हक आपको मना नहीं करेगें । इस वर्ष प्रार्थी ने उसके स्वमित्व की आराजी पर लहसुन की फसल की बुआई की है जो पक चुकी है तथा अप्रार्थीगण ने अपने स्वामित्व की आराजी एवं रास्ते पर गैहु की फसल की बुआई की है जो लहसुन की फसल के बाद में कटेगी। इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से रास्ते पर होकर लहसुन की फसल ले जाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि यहां होकर कोई रास्ता नहीं है। तथा पूर्व के रास्ते पर से तुम्हे अब भविष्य में नहीं निकलने देगें जबकि उपरोक्त मेड के सहारे पूर्व में सिचाई हेतु धोरा भी स्थित था। अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि अब हक यहा पत्थर का कोट भी खिचवायेगें। तथा रास्ते को बन्द करके ही रहेगें तुम्हे जो करना हो कर लेना जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के आराजी बाबत पूर्व में लडाई झगडा भी हो चुका जिसमें प्रार्थी के भाई की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थीगण दिनांक 05.12.2013 को की गई पैमाइश रिपोर्ट की भी पालना नहीं कर रहे है। मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.2013 की प्रति साथ में संलग्न है जो काबिल गौर है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थीगण को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है यदि अप्रार्थीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी ख0नं0 1157 का रकबा 0.25 है0 व उसकी मां ख0नं0 1157/2568 का रकबा 0.30 है0 कुल रकबा 0.55 है0 पर आने जाने से वंचित हो जावेगें। जिससे प्रार्थी व उसकी मां के स्वामित्व की आराजी पडत रह जावेगी तथा प्रार्थी समय पर अपनी खेती को नहीं हकवा सकेगा, फसल नहीं बो सकेगा, फसल तैयार कर अपने घर पर नहीं ला सकेगा सिंचाई नहीं कर सकेगा तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थी व उसकी मां को अनेक परेशानियों का समना करना पडेगा जिसके फलस्वरूप प्रार्थी व उसकी मां को अपरिमितक्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है तथा प्रार्थी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। अतः

प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को ख0नं0 1157 का रकबा 0.25 है0 व उसकी मां को ख0नं0 1157/2568 का रकबा 0.30 है0 कुल रकबा 0.55 है0 आराजी पर आने जाने का रास्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के स्वामित्व के कुए पर होकर मेड पर होकर जो पूर्व में ही 12 फीट चौडाई में है। जिस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें तथा प्रार्थी को उसके खेत पर पूर्व की भाति आने जाने का रास्ता ए. से बी. के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में प्रदर्शित ए. से बी. रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करे रास्ते में नया पत्थर का कोट नहीं बनावे। रास्ते की पूर्व की स्थिति बनाये रखे रास्ते को नष्ट नहीं करें यदि अपने खेत की सुरक्षा हेतु कोट खींचे तो रास्ते पर जबरन पत्थर का कोट खींचकर बन्द कर दे ंतो रास्ता खुलासा करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी मौके पर होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में वर्णित आराजी का विभाजन होना स्वीकार है अपितु कथन है कि प्रार्थी रामकिशन द्वारा अप्रार्थीगण की आराजी पर जबरन कब्जा करके प्रार्थी ने विवाद पैदा किया है। प्रार्थी रामकिशन तथा अप्रार्थी शिवराम दोनों ही सगे भाई है तथा द्वारकालाल अप्रार्थी शिवराम का पुत्र है। प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 पूरा ही मनघढन्त एवं झूठे तथ्येां के आधार पर दर्ज होने की वजह से स्वीकार नहीं है। मौके पर प्रार्थी का ख0नं0 1157 का रकबा 0.25 है0 तथा ख0नं0 1157/2568 का रकबा 0.30 है0 पर आने जाने का रास्ता दोनों खेतों के पश्चिम दिश की मेड पर होकर कभी भी नहीं रहा है प्रार्थी ने नक्शे में जो रास्ता बताया है वह रास्ता मौके पर नहीं है न ही किसी प्रकार के रास्ते के निशानात मौके पर मौजूद है बल्कि मौके पर जो मेउ है व मेउ डेढ फुट के लगभग चौडी होगी तथा कुऐ के लगवा ही अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के खेत आते जाते है वहां से उत्तर दिशा में कोई रास्ता नहीं जा

रहा है कुए से बी. स्थान पर कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 अस्वीकार है। प्रार्थी अपने खेत पर हमेशा ही तरह आज भी आ जा रहा है और उसी खेत में फसल खडी हुई है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 5 अस्वीकार है क्योंकि पूरा ही प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा मनघढन्त तथ्यों पर पेश किया है जो काबिल निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 का जवाब बवक्त बहस मौखिक दिया जावेगा। प्रार्थी द्वारा चाही गई प्रार्थना स्वीकार नहीं है।

विशेष विवरण

प्रार्थी रामकिशन के खेत ख0नं0 1157 एवं 1157/2568 पर आने जाने का स्थायी रास्ता इन खेतों के पश्चिम दिशा की मेड पर होकर नहीं है न हीं मौके पर कोई 12 फुट चौडाई का रास्ता है जो प्रार्थी ने रास्ता बताया है वह स्थान दुसरे व्यक्तियों के खाते के खेत है दोनों खेतों के मध्य की मेड डेढ फुट चौडी है इससे अधिक नहीं है तथा जहां पर कुआ है उसके पास ही अप्रार्थीगण के खेत है जहां पर कुए के लगवा अप्रार्थीगण के पिछले 20 वर्षों से 15–20 ट्रोली पत्थर पडे हुये है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण तथा उसके परिवार से आपसी रंजीश होने की वजह से मनघढन्त एवं झूठे तथ्यों पर उक्त उनवानी कार्यवाही माननीय न्यायालय में पेश की है जो काबिल निरस्तनीय है।

अतः माननीय न्यायालय में अप्रार्थीगण जवाब प्रार्थना पत्र धारा 251 क आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा निम्नलिखित रूलिंग पेश की गई–

1. Citation: 2012 (2) RLW 1248 (SC)- C.P.C] Sec. 9 read with Madhya Pradesh Land Revenue code, 1959, Sec. 131, 257, 242- Tehsildar granted easement of right of way jurisdiction of civil Court- Held- In the code there is no bar for the jurisdiction of civil court to decide upon easwementary rights relation to agricultural or ther lands- Open to challenge in civil Court.

2. pritam singh v/s Menpal& anr. RRD 14-08-2017 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 230–विचारण न्यायालय ने धारा 251 'अ' के तहत रास्ता स्वीकृत किया–अपीलीय न्यायालय ने आदेश की पुष्टि की मंडल के समक्ष निगरानी अभिनिर्धारित धारा 251 'क' में दो तथ्य आवश्यक–(1) रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता, केवल सुविधाजनक स्थिति के लिए नहीं– (2) वैकल्पिक साधन का अभाव मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में गिरदावर या उच्च अधिकारी द्वारा होना आवश्यक तथा प्रभावित पक्षकारान को सुनना जरूरी–वर्तमान प्रकरण में विधिवत विवेचन किए बगैर ही आक्षेपित आदेश पारित प्रकरण प्रतिप्रेषित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में कानूनी प्रश्न एवं तथ्यात्मक प्रश्न दोनों निहित है। पहले कानूनी प्रश्न का निर्धारण करना न्यायोचित होगा। प्रार्थी द्वारा राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके अधीन कृषि भूमि तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं पर नया रास्ता दिये जाने का प्रावधान है जबकि प्रार्थना पत्र के विभिन्न मदो व चाहे गये अनुतोष के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ख0नं0 1157 रकबा 0.25 है0 व ख0नं0 1157/2568 रकबा 0.30 है0 भूमि से होकर गुजरने वाले प्रचलित रास्ते को खुलासा कराने एवं अप्रार्थीगण को जरिऐ स्थायी निषेधाज्ञा से उक्त प्रचलित रास्ते में अवरोध पैदा नही करने हेतु पाबंद कराने के लिऐ न्ययायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। पूर्व से प्रचलित किसी रास्ते या कदिमी रास्ते के खुलासे के लिए प्रार्थी को राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में न्यायालय तहसीलदार में प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिऐ। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा गलत धाराओं/प्रावधानों के अधीन प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

तथ्यात्मक प्रश्न के निर्धारण के लिऐ तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.11.2019 व 11.01.2022 ग्राम बडोरा के ख0नं0 1158 व 1157/2568 जमाबन्दी संवत 2073–76 आदि के आधार पर प्रार्थी के खेत ख0नं0 1157 तक पहुंच हेतु ख0नं0 1158 (खातेदार अप्रार्थी क्रम 1) व ख0नं0 1157/2568 (सहखातेदारी) से होकर गुजरना पडता है। राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपने खेत तक जाने के

लिए अप्रार्थी क्रम 1 की खातेदारी भूमि की मेड के पास होकर गुजरता है जो कि रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी क्रम 1 की खातेदारी भूमि में से नवीन रास्ता अनुतोष के रूप में न चाह बल्कि इस अन–रिकार्डेड एवं आपसी समन्वय से बनाये रास्ते के खुलासे का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी को DLC दरों की दुगुनी राशि जमा कराने पर ही खातेदार अप्रार्थी क्रम 1 एवं 2 अन्य सहखातेदारों की भूमि से होकर नवीन रास्ता दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र नवीन रास्ते का नवीन अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0 काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां